6090(E)
01/9/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 01/9/2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल संख्या–1, मुजफ्फरपुर अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.-04A/Muzaffarpur कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 एवं पत्रांक–5625(E) दिनांक–17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–2447 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2600(अनु०) दिनांक–25.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–25.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या	:	पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 04A/ Muzaffarpur
2.2	योजना मद	:	3054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल संख्या–1, मुजफ्फरपुर
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹17648.92 लाख। विभागीय ज्ञापांक–3247(एस०) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹20639.38 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1658 (अनु०) दिनांक–27.05.2026
2.6	ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:	₹17992.79082 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	03.07.2026
2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 08 (आठ) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) M/s Ashoka Buildcon Limited
(2) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd.
(3) M/s Vinod Kumar Jain.
(4) Agrwal Infrabuild Pvt. Ltd.
(5) Velgi Ratna Sorathia-Jha P & Company- 'JV'
(6) T & T Infra Limited– Akshya 'JV'
(7) SCC Infrastructure. Pvt. Ltd
(8) Avednex Private Limited

4. उपभागीय ज्ञापांक–2447, दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में कुल 08 (आठ) निविदाकारों में से **02 (दो)** निविदाकार यथा (1) Agrwal Infrabuild Pvt. Ltd एवं (2) SCC Infrastructure. Pvt. Ltd को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

शेष 05 (पाँच) निविदाकार यथा (1) M/s Ashoka Buildcon Limited को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 4E.10, NIT की कंडिका 39 एवं NIT की कंडिका 28 (2) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 3 Clause 1.2.3 Section 4E.10 एवं NIT की कंडिका 39 (3) M/s Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3 , Clause 1.2.3, Section 3 Clause 1.2.3 Section 4E.10 FIN-4, NIT के कंडिका–39 एवं NIT के कंडिका–28 (4) Velgi Ratna Sorathia-Jha P & Company- 'JV' को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 3 Clause 1.2.3 Section 4E.10 एवं NIT की कंडिका 39 (5) T & T – Akshya 'JV' को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 3 Cl. 1.2.3 Section 4E.10,NIT के कंडिका–39, Section 3, Clause 2.4.2, Section 3 Clause 1.2.3 4E.13 ITB के Clause 17 एवं NIT की कंडिका 28 के तहत निविदा में वांछित न्यूनतम अर्हता नहीं पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया तथा शेष 01 (एक) निविदाकार Avednex Private Limited द्वारा e-proc 2.0 में वांछित कागजातों के विरूद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किया गया तथा EMD के भी कागजात निविदा में नहीं Upload किया गया है फलस्वरूप इनके निविदा को अमान्य किया जाता है।

विभागीय आदेश–141–सह–पठित ज्ञापांक–5355 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया, बशर्त्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–2447, दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Vinod Kumar Jain के पत्रांक–007, दिनांक–15.08.2026 (2) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. के पत्रांक–053, दिनांक–14.08.2026 एवं (3) Jha P & Company-Velgi Ratna Sorathia 'JV' dk E-mail दिनांक–14.08.2026 द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2600(अनु०) दिनांक–25.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–25.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार (1) Vinod Kumar Jain के पत्रांक–007, दिनांक–15.08.2026 (2) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. के पत्रांक–053, दिनांक–14.08.2026 एवं (3) Jha P & Company-Velgi Ratna Sorathia 'JV' का E-mail दिनांक–14.08.2026 द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किया गया, इसके अलावे (1) S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. (इस उपभाग (उत्तर) अन्तर्गत पैकेज सं०–01A, पथ प्रमंडल, बेतिया में भाग लिये निविदाकार) द्वारा सफल निविदाकार M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. के विरूद्ध आपत्ति प्राप्त हुआ जो निम्नवत् है :–

परिवाद /आपत्ति की समीक्षा :–

	परिवाद / आपत्ति	समीक्षा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	**Vinod Kumar Jain द्वारा दिये गये आपत्ति :–** 1. Representation has been sought vide letter cited under reference-1 communicated vide mail dated 14.08.2026 in respect of alleged deficiency in compliance of instructions by the Contractor as bidder in submission of bids for the aforementioned works invited through NIT (S) under reference. 2 The Contractor's/Bidder's bid has been considered non responsive primarily on following issues, in respect of which Contractor's /Bidder's representation is submitted below- (i) 25/- Advocate welfare stamp is not attached with Affidavit. :- An advocate Welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899. Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid. The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates. Whereas, the validity of an affidaviit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than advocate welfare legislation. Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a document falls under the Code or Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा इन्हें NIT के कंडिका–28 (Advocate Welfare Stamp) एवं Section-3 Clause 1.2.3, Section-3 Clause 1.2.3 Section 4E-10 FIN-4 तथा NIT के कंडिका–39 (Existing Commitment) के आलोक में असफल घोषित किया गया है। NIT के क्रमांक–28 के आलोक में निविदाकार को शपथ–पत्र के साथ Rs. 25/– का Advocate Welfare Stamp Affixed करना था, जो कि नहीं किया गया। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid cannot be considered as" non-responsive" on this ground. (ii) 01 Work Supporting certificate issued by Engineer-in-Charge not attached :- The Contractor/Bidder in said respect has submitted (i) Work Orders for the projects billing not yet done; (ii) Work supporting certificate issued by Engineer-in-Charge (iii) pass orders of latest Running Account Bills works under progress The documents submitted in respect of aforementioned (i) and (ii) are not in dispute Regarding 01 work for which the Engineer-in-Charge's certificate could not be obtained due to unavoidable reasons, the submitted Running Account Bills fulfil the requirement for which the supporting certificate from the Engineer-in-Charge was sought. Since the Engineer-in-Charge's certificate has already been submitted for the majority of the works, non-submission of only 01 such certificates due to unavoidable reasons cannot be grounds for declaring the bid non-responsive. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bis cannot be considered as" non-responsive" on this ground. 3. Therefore on the above representation made by the contractor/Bidder, it is with utmost respect and humility in the interest of public, competitiveness and justice requested to please be kind to consider the Contractor's/Bidder's Bids responsive for opening of its Financial Bids.	MBD Section-3 Clause 1.2.3 में यह स्पष्ट अंकित है कि The Bidder is complete Form of Current Contract Commitment as part of their bid for the determintion of this value & Current Contract commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. साथ ही Form-FIN-4 (c) में अंकित है कि The current Contract Commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. चूँकि MBD के Section-6 Clause-1.22 में Defined है निविदा के NIT की कंडिका–39 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि Existing Commitment Engineer-In-Charge से निर्गत नहीं होने पर Non-Responsive एवं Invalid घोषित किया जायेगा। निविदाकार द्वारा MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक– 39 के आलोक में Uploaded Existing Commitment की सूची के क्रमांक – 5 पर	

		अंकित कार्य "PROVN OF OTM ACCN AND ALLIED INFRA FOR KLPAT NASIRABAD" से संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र Upload नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	
2.	**M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये आपत्ति :–** उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि हमारे कम्पनी द्वारा विषयांकित निविदा में भाग लिया गया है और हमारे निविदा कागजातों के मूल्यांकन के बाद दिनांक–13.08. 2026 को निर्गत कार्रवाई की प्रति जो हमें उपलब्ध कराया गया है, जो अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके कंडिका –4 (प) में यह कहा गया है कि "Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. द्वारा MBD ds Section 3:Clause 1-2-3] Section 4E-10 एवं NIT के क्रमांक 39 के आलोक में निविदाकार द्वारा Uploading Existing Commitment में अंकित 04 कार्यों का संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ Upload नहीं किया गया है। फलस्वरूप इनकी Bid Capacity की गणना नहीं की जा सकी।" इस संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि :– (1) हमारे निविदा को असफल जिस आधार पर किया गया है, उसमें मात्र एक आधार यह है कि हमारे द्वारा Uploaded Existing commitment में अंकित 04 कार्यों से संबंधित Engineer in charge द्वारा निर्गत एवं हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ अपलोड नहीं किया गया है। (2) इस संबंध में मेरे द्वारा Uploaded 04 कार्यों जो निम्नांकित हैं और Uploaded Document के क्रमांक –4, 5, 6 एवं 7 पर अंकित है, कृपया उसका अवलोकन करना चाहेंगे, जो निम्नवत है :–	MBD Section-3 Clause 1.2.3 में यह स्पष्ट अंकित है कि The Bidder is complete Form of Current Contract Commitment as part of their bid for the determintion of this value & Current Contract commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. साथ ही Form-FIN-4 (c) में अंकित है कि The current Contract Commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. चूँकि MBD के Section-6 Clause-1.22 में Defined है निविदा के NIT की कंडिका–39 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि Existing	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

क्र०	एकरारनामा सं०	एकरारनामा से संबंधित कार्यपालक अभियंता
1	08/RRSMP/CMBD/2025-26 Dated 04-07-2025	Executive Engineer, RWD, Works Division, Areraj, Bihar
2	L.O.A Issue Date 08/01/2024 Work Order/Appointed Date 16-03-2026	P.D, P.I.U, NHAI, Chhpra
3	L.O.A Issue Date 16/11/2023 Work Order/Appointed Date 04-01-2026	P.D, P.I.U.NHAI, Chhpra
4	27/CMBD/2025-26 Dated 08-07-2025	Executive Engineer, RWD, Works Division, Narkatiyaganj, Bihar

उपरोक्त कंडिका से स्पष्ट होगा कि अभी दो कार्य में कोई भुगतान भी नहीं हुआ है।

(3) जहाँ तक हमारे सूचना नहीं दिये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में हमारे द्वारा संबंधित सभी कार्यो के एकरारनामा संख्या एवं अन्य सारी सूचनाएँ अंकित की गयी है, तो ऐसी स्थिति में यह निर्णय लेना कि Engineer-in-charge द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अपलोड नहीं है, NIT एवं CMBD के सुसंगत धाराओं के आलोक में नहीं है, पर पुनर्विचार करना चाहेंगे।

(4) जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जो भी कागजातों को हमारे द्वारा अपलोड नहीं किया गया था, उन सारे कार्यों के संबंध में संबंधित संस्थानों से उसकी सत्यता की जाँच कराकर सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त भी हुआ है। उक्त कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि चारो प्रमाण–पत्र Bid Submission Date के पूर्व हीं निर्गत हैं। पुनः उन प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न है, जिसे परिशिष्ट–1, 2, एवं 3 पर देखा जा सकता है।

(5) इस संबंध में मैं आपका ध्यान MBD के कंडिका 22 पर आकृष्ट करना चाहता हूँ,जो Clarification of bids से संबंधित है। उसके उप कंडिका–22.1 में अंकित है कि:– "To assist in the examination, evaluation, and comparison of the bids, and qualification of the Bidders, the Employer may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its bid. Any clarification submitted by a Bidder that is not in response to a request by the Employer shall not be considered. The employer's request for clarification and the response shall be in writing. No change in the prices or substance of the bid shall he sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Employer in the evaluation of the bids, in accordance with ITB 26."

उक्त नियम के आलोक में भी भवदीय हमे एक मौका निविदा के तकनीकी मूल्यांकन से पूर्व देने की कृपा करते तो उक्त अल्प आपत्ति का भी निराकरण कराया जा

Commitment Engineer-In-Charge से निर्गत नहीं होने पर Non-Responsive एवं Invalid घोषित किया जायेगा।

निविदाकार द्वारा Uploaded Existing Commitment की सूची के अनुसार MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक– 39 के आलोक में चार कार्यों का संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत/हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र Upload नहीं किया गया है।

अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।

	सकता था। विदित हो कि निविदा प्रकरण के साथ लगभग 500 से अधिक कागजातों को अपलोड किया जाना था, तो ऐसे स्थिति में ऐसा हो सकता है कि उक्त तथाकथित 04 कार्यों के मामले में वांछित कागजात अपलोड नहीं किया जा सका और उक्त आलोक में हमारे निविदा को अमान्य किये जाने के बिन्दु पर पुनः विचार करना चाहेंगे। (6) इस संबंध में मैं आपका ध्यान पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक 6158 दिनांक 09.07.2014 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो SBD/MBD/CMBD/NH पर आधारित निविदाओं के तकनीकी निष्पादन हेतु Eligibility Criteriaa से संबंधित है, के आलोक में भी भवदीय के स्तर पर निर्णय अपेक्षित है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए विधिसंगत निर्णय लेने की कृपा की जाय।		
3	**Jha P & Company-Velgi Ratna Sorathia 'JV' द्वारा दिये गये आपत्ति :–** We have received your email stating that some of the documents submitted by our company are incomplete. In this regard, we would like to clarify that all the required documents from our company have been duly fulfilled and submitted as per the tender requirements. For your reference and verification, we have attached the relevant PDF containing the complete set of documents submitted by our company. online bid submission in attachment tab we have uploaded work in hand of 64 works with work orders attachment on pdf no.16 -ongoing file We kindly request you to review the attached PDF and consider our documents as complete. In case any specific document or clarification is still required, please let us know, and we shall provide the same promptly.	MBD Section-3 Clause 1.2.3 में यह स्पष्ट अंकित है कि The Bidder is complete Form of Current Contract Commitment as part of their bid for the determintion of this value & Current Contract commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. साथ ही Form-FIN-4 (c) में अंकित है कि The current Contract Commitments must be duly certified by the Engineer-in-Charge. चूँकि MBD के Section-6 Clause-1.22 में Defined है निविदा के NIT की कडिका–39 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि Existing Commitment Engineer-In-Charge से निर्गत नहीं होने पर Non-Responsive एवं Invalid घोषित किया जायेगा। निविदाकार द्वारा Uploaded	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

		Existing Commitment की सूची के अनुसार MBD के Section 4E.10 (c) एवं NIT के क्रमांक– 39 के आलोक में 37 अद्द कार्यो का संबंधित Engineer-in-Charge द्वारा निर्गत / हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र Upload नहीं किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	
4	**JKM Infra Projects Ltd. द्वारा दिये गये परिवादः–** **Litigation details of M/s Agrawal Infrabuild Private Limited given Below :-** 1- CWJC No. 2302/2026, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Rajasthan State Road Development and Construction Corp Ltd.) (High Court, Rajsthan.) 2. WP (C) 13176/2025, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s National Highway Authority of India & Others.) (High Court , Delhi.) 3. WP (C) 4599/2025, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s National Highway Authority of India & Others.) (High Court, Delhi.) 4. Tax C No 167/ 2023 M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Asst Comm of Income Tax, Rajpur Chhattisgarh) (High Court of Chhattisgarh at Bilaspur.) 5. SLP no 32645/2025 Dt 12.01.2026 M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Asst Comm of Income Tax, Rajpur Chhattisgarh) (Supreme Court of india, Cour no. 15.) In View of the facts stated above, it is respectfully submitted that the circumstances relied upon for declaring the Technical Bid Non-Responsive/	यद्यपि JKM Infra Projects Ltd. इस निविदा के निविदाकार नहीं है तथापि इनके द्वारा निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया है। निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited को वांछित अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति में सफल घोषित किया गया है। अन्य निविदा में निविदाकार JKM Infra Projects Ltd. द्वारा निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया गया है। परिवाद में अंकित सभी वादों (Court Case) के समीक्षोपरांत वर्णित वादों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :–	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>Disqualified primarily relate to either; Matters relating to disclosure/clarification of litigation and concluded arbitration, where there was no wilful concealment, fraudulent misrepresentation or intention to mislead the Department.</td>
<td>
<table>
<tr><th>S.l No</th><th>Case No.</th><th>Case Status</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CWJC No. 2302/2026,</td><td>Case Disposed</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>WP (C) 13176/2025,</td><td>Case Disposed</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>WP (C) 4599/2025,</td><td>Case Disposed</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Tax C No 167/ 2023</td><td>Case Disposed</td></tr>
</table>
शेष एक Hon'ble Supreme Court of india में Litigation SLP no 32645/2025 Dt 12.01.2026 Pending है जो Assistant Commissioner of Income Tax Central Circle-II Tax से संबंधित है।

चूँकि उक्त वाद विभागीय कार्य से संबंधित नहीं है फलस्वरूप इस आधार पर परिवाद मान्य नहीं किया जा सकता है।
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. द्वारा दिये गये परिवादः–

1. M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd.

(i) Power of Attorney: The prescribed ₹25/- Welfare Ticket has not been affixed to the Power of Attorney.

(ii) Bidder Information Affidavit: The prescribed 25/- Welfare Ticket has also not been affixed to the Bidder Information Affidavit.

(iii) Conflict of Interest: In place of the required Affidavit relating to Conflict of Interest, a Technical Bid Sheet has been submitted. Therefore, it requires verification whether the document submitted actually complies with the prescribed tender requirement.

(iv) Form LIT-I - Pending Litigation:

The required Affidavit in respect of Form LIT-I –</td>
<td>यद्यपि S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. इस निविदा के निविदाकार नहीं है तथापि इनके द्वारा निविदाकार M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया है।

Power of Attorney पर Rs. 25/- का Advocate Welfare Stamp वांछित नहीं है।

Bidders Information Sheet पर Rs. 25/- का Advocate Welfare Stamp वांछित नहीं है।

फलतः परिवाद के ये बिन्दु मान्य नहीं किये जा सकते</td>
<td>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।</td>
</tr>
</table>

	Pending Litigation has also not been submitted. (v) Litigation History declared as "NIL"" despite information regarding two pending cases: It is a matter of serious concern that M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. has declared its Litigation History as "NIL", whereas, as per the information/records available to us, the following two cases are pending in respect of the said company: 1. Case No. MCA/293/2026--pending before the Hon'ble Bombay High Court, Nagpur Bench. 2. Case No. 25664/2025 - pending before the Hon'ble Supreme Court of India. Despite the pendency of the above two cases, if the bidder has declared its Litigation History as "NIL", the matter requires detailed and independent verification in accordance with the tender conditions. In particular, in the light of the provisions of the Model Bidding Document (MBD), Section-3, Clause 2.2.1 and Section 4E.5, it is necessary to verify whether all information required to be disclosed by the bidder in respect of its litigation history has been furnished completely, correctly and truthfully. If disclosure of the above pending cases was required under the prescribed format/declaration of the tender documents, and the bidder has nevertheless declared "Litigation History - NIL", the same becomes a serious matter for consideration while determining the Responsiveness of the bid. It is therefore requested that the current status, parties and nature of the above cases be verified from the concerned judicial records and that it also be examined whether disclosure of these cases was mandatory under MBD Section-3, Clause 2.2.1 and Section 4E.5.	है। S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. द्वारा अपने परिवाद में निम्न दो वाद अंकित किया गया है। (i) Case No. MCA/293/2026 & (ii) Case No. 25664/2025 (i) माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई के Website पर उक्त वाद Case No. MCA/293/2026 की जाँच की गई एवं पाया गया कि वाद की अद्यतन स्थिति Pending है। वाद Neha Construction Pvt. Ltd. से संबंधित है। (ii) Supreme Court of India के Website पर परिवादी द्वारा अंकित वाद की जाँच की गई की गई एवं पाया गया कि वाद (SLP-25664/2025) RITES से संबंधित है, जिसकी अद्यतन स्थिति Pending है। उक्त दोनों वाद को MBD Section-3 Clause-2.2.1- Section 4E के तहत् Form-LIT-1 में अंकित नहीं किया गया है। Form-LIT-1 में इनके द्वारा NIL अंकित किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य किया जा सकता है।	

	In view of the above, the deficiencies in the prescribed documents submitted by M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd., as well as the issue relating to its Litigation History, require re-examination in accordance with the tender conditions.		

7. **परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त उपभागीय ज्ञापांक–2447 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए (इस उपभाग अन्तर्गत पैकेज सं०–01A, पथ प्रमंडल, बेतिया में भाग लिये निविदाकार S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. के परिवाद के आलोक में) M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. को निविदा के तकनीकी बीड में MBD Section-3 Clause-2.2.1- Section 4E के तहत् असफल घोषित करने की संशोधित अनुशंसा की जाती है।

साथ ही (i) Vinod Kumar Jain (ii) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. एवं (iii) Jha P & Company-Velgi Ratna Sorathia 'JV' से प्राप्त परिवाद के बिन्दुओं के अमान्य होने के फलस्वरूप M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. के अलावा शेष निविदाकारों के संबंध में सफल/असफल घोषित करने के पूर्व के निर्णय को यथावत् रखा जा सकता है।

अतः उक्त के आलोक में उक्त निविदा में शेष एक निविदाकार सफल रहने के फलस्वरूप Bihar PWD Code-163 के तहत् पुनर्निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की जाती है।

8. परिवाद समिति का निर्णय :–

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार (1) Vinod Kumar Jain के पत्रांक–007, दिनांक–15.08.2026 (2) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. के पत्रांक–053, दिनांक–14.08.2026 एवं (3) Jha P & Company-Velgi Ratna Sorathia 'JV' के पत्रांक–शून्य दिनांक–14.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया गया।

(ii) निविदाकार S&P Infrastructure Developers (P) Ltd. (इस उपभाग (उत्तर) अन्तर्गत पैकेज सं०–01A, पथ प्रमंडल, बेतिया में भाग लिये निविदाकार) के परिवाद के आलोक में पूर्व में सफल निविदाकार M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. को निविदा के तकनीकी बीड में MBD Section-3 Clause-2.2.1- Section 4E के तहत असफल करने का निर्णय लिया गया।

(iii) 07 (सात) निविदाकार यथा (1) M/s Ashoka Buildcon Limited को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 4E.10, NIT की कंडिका 39 एवं NIT की कंडिका 28 (2) M/s Rishi Builders (India) Pvt. Ltd. को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT की कंडिका 39 (3) M/s Vinod Kumar Jain को MBD के Section 3 , Clause 1.2.3, Section 4E.10 FIN-4, NIT के कंडिका–39 एवं NIT के कंडिका–28 (4) Velgi Ratna Sorathia-Jha P & Company- 'JV' को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 4E.10 एवं NIT की कंडिका 39 (5) T & T – Akshya 'JV' को MBD के Section 3, Clause 1.2.3, Section 4E.10, NIT के कंडिका–39, Section 3, Clause 2.4.2, Section 4E.13 ITB के Clause 17 एवं NIT की कंडिका 28 (6) M/s SCC Infrastructure Pvt. Ltd. को MBD Section-3 Clause-2.2.1- Section 4E के तहत निविदा में वांछित न्यूनतम अर्हता नहीं पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में असफल घोषित एवं (7) निविदाकार Avednex Private Limited द्वारा e-proc 2.0 में वांछित कागजातों के विरूद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किया गया तथा EMD के भी कागजात निविदा में नहीं Upload किया गया है फलस्वरूप इनके निविदा को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(v) शेष 01 (एक) निविदाकार Agrwal Infrabuild Pvt. Ltd द्वारा निविदा की वांछित अर्हत्ता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में एकल निविदाकार के सफल होने के फलस्वरूप निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(vi) उपभागीय ज्ञापांक–2447 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(vii) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

01/9/26	01/9/26		01/9/26

(सुनील कुमार सुमन) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	**(राजेश कुमार गुप्ता)** मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	**(अभिषेक पलासिया)** संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	**(उमा कान्त रजक)** अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7 / निविदा–03–154 / 2026 6090(E) पटना, दिनांक 01/9/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/9/26
(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।